

(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

F.No.6/38/2011-BO-I
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

New Delhi, Dated the 11 April, 2013
Chaitra 21 1935(Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section 3 (h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3 of The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, the Central Government hereby nominates Shri Shri Kant Misra (DoB: 08.03.1955) as part-time non-official director on the Board of Directors of Union Bank of India for a period of three years, from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

Vijay Malhotra

(Vijay Malhotra)

Under Secretary to the Government of India

To
The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area, Ring Road,
New Delhi.

(भारत के राजपत्र के भाग-II खंड 3(ii) में प्रकाशनार्थ)

फा.सं. 6/38/2011-बीओ-1

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

11 अप्रैल, 2013

नई दिल्ली, दिनांक-----

२1 चैत्र, 1935 (शक)

अधिसूचना

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970/1980 के खंड 3 के उप-खंड (1) के साथ पठित, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा 3(ज) एवं (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री श्रीकांत मिश्रा (जन्म तिथि 08.03.1955) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित करती है।

विजय मल्होत्रा
(विजय मल्होत्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
रिंग रोड, नई दिल्ली।

